न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 124/2018 अपील (RCMS/2018/00137)
पंजीयन दिनांक — 05.09.2018
निर्णय दिनांक — 24.06.2019

1. श्री कन्ना पिता श्री उदाजी डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—
1. श्री भूरालाल डांगी — वकील अपीलान्ट
2. श्री योगेन्द्र दशोरा — वकील रेस्पोडेंट (राजकीय अभिभाषक)

प्रकरण संख्या—24/2006, श्री कन्ना डांगी बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा में न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), गिर्वा जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.2011 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा—75 भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 24.06.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), गिर्वा जिला उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या—24/2006, श्री कन्ना डांगी बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, में पारित निर्णय दिनांक 06.01.2011 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है—

- अपीलार्थी श्री कन्ना डांगी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), गिर्वा जिला उदयपुर समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28.08.2006 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मनवाखेडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर के आराजी संख्या—488, 1119, 1200, 1201, 1218, 1219, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232 का सम्पूर्ण हिस्सा एवं आराजी संख्या—468 रकबा 0.150 में से 1/2 श्री उदा पिता श्री देवा डांगी के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। श्री उदा पिता देवा डांगी, निवासी मनवाखेड़ा ने उसके पक्ष में दिनांक 12.10.1984 को एक वसीयत निष्पादित की। श्री उदा का निधन दिनांक 30.07.2004 हो गया है। ऐसी दशा में राजस्व अभिलेखों में

उदाजी की खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण उसके नाम से स्वीकृत कर खातेदारी हक से राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज कराया जाये।

- अपीलार्थी के आवेदन के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत की जांच करा, सम्बन्धित पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर, विभिन्न न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य एवं वसीयत के आधार पर राजस्व ग्राम मनवाखेडा पटवार क्षेत्र मादड़ी पुरोहितान खैवट (खतौनी) नई 19 व 239 पुरानी 36 व 37 वसीयतकर्ता उदा पिता देवा डांगी का 1/2 हिस्सा प्रार्थी श्री कन्ना पिता उदा डांगी के नाम राजस्व रिकार्ड के दर्ज किये जाने का निर्णय दिनांक 06.01.2011 को पारित किया।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), गिर्वा जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय 06.01.2011 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 29.08.2018 को अपील प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 17.06.2019 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में साक्ष्य आदि लेकर दिनांक 06.1.2011 को अपीलार्थी को मृतक खातेदार उदा पिता देवाजी डांगी को वसीयत के आधार पर उदा पिता देवा डांगी के बजाय कन्ना पिता उदा डांगी के नाम राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करने की स्वीकृति प्रदान की जिसके आधार पर पटवारी हल्का द्वारा पालना पर उक्त वर्णित सम्पूण भूमि अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण पारित किया। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करते वक्त इसी राजस्व ग्राम मनवाखेडा तहसील गिर्वा की स्वर्गीय उदा पिता श्री देवा के नाम की आराजी संख्या–1222/2396 रकबा 0.2000 हेक्टेयर सहवन से लिखना रह गया जो स्व. श्री उदा पिता श्री देवा के नाम ही दर्ज रह गयी जबकि उदाजी ने अपनी सम्पूर्ण भूमि के सदंर्भ में अपीलार्थी के पक्ष में वसीयत निष्पादित कर दी थी। उक्त भूमि उदाजी के नाम से रह जाने से भुमाफियाओं द्वारा षडयंत्र कर उक्त अपीलार्थी के पिता के खातेदारी भूमि अन्य व्यक्ति उदा पिता देवा डांगी को खड़ाकर उक्त भूमि की फर्जी तरिके से पॉवर ऑफ एटार्नी तैयार कर उक्त भूमि का एक नुमाईशी विक्रय विलेख तैयार कर रोशनलाल पिता हुकमीचन्द निवासी एकलिंगपुरा के नाम करवा दिया तथा भूमि को उक्त तथाकथित रोशनलाल जी के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या–3122 दिनांक 22.08.2016 से दर्ज कर दी जिस पर उक्त तथ्य की जानकारी होने पर ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्णय का पुर्नवालोकन कर पुनः मूल खातेदार उदा पिता श्री देवाजी के नाम यथावत दर्ज की गई। उक्त आराजी संख्या–1222/2396 रकबा 0.2000 हैक्टेयर वर्तमान में उदा पिता श्री देवा डांगी के नाम ही दर्ज होने से कई भूमि दलाल की निगाहे है तथा जबरन जमीन हथियाकर खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है जिससे उक्त आराजीयात मुल आवेदन में जोड़ते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में आंशिक संशोधन कर राजस्व ग्राम मनवाखेड़ा की

आराजी संख्या–1222/2396 रकबा 0.2000 है. भी अपीलार्थी के नाम दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त तथ्यों की जानकारी होते ही अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नकल का आवेदन कर नकले प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई जिससे कारण अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई, जिसे क्षम्य किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम का अपील के साथ प्रस्तुत किया गया। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार का अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.01.2011 में आंशिक संशोधन कर राजस्व ग्राम मनवाखेडा के आराजी संख्या–1222/2396 रकबा 0.2000 है. का नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम वसीयत के आधार पर दर्ज कराने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया।

राजकीय अभिभाषक ने रेस्पोडेंट की ओर से अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के आवेदन पर वसीयत की जांच करा, सम्बन्धित पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर, विभिन्न न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य एवं वसीयत के आधार पर राजस्व ग्राम मनवाखेडा पटवार क्षेत्र मादड़ी पुरोहितान खैवट (खतौनी) नई 19 व 239 पुरानी 36 व 37 वसीयतकर्ता उदा पिता देवा डांगी का 1/2 हिस्सा प्रार्थी श्री कन्ना पिता उदा डांगी के नाम राजस्व रिकार्ड के दर्ज किये जाने का निर्णय दिनांक 06.01.2011 को पारित किया।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से एवं सावधानीपूर्वक अध्ययन किया।

अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत अपील देरी से प्रस्तुत करने के कारणों की समीक्षा की गई और प्रस्तुत कारण संतोषजनक प्रतीत नहीं होते है, असाधारण विलम्ब को कन्डोन किये जाने के लिए कोई उचित एवं पर्याप्त आधार नहीं है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के बावजुद प्रश्नगत अपील में तथ्यों, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों पर भी मनन किया गया।अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि प्रार्थी द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किए जाने के आवेदन पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर पटवारी हल्का से वसीयत के सम्बन्ध में राजस्व अभिलेख एवं मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। उक्त पटवारी रिपोर्ट की पुष्टि/विवादास्पद तथ्यों के सम्बन्ध में पुनः पटवारी हल्का से प्रतिवेदन/रिपोर्ट दिनांक 05.11.2009 को ली गई। वसीयत के सम्बन्ध में वसीयतग्रहिता और सम्बन्धित व्यक्तियों के बयान कलमबद्ध कराये। तहसीलदार द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन एवं अध्ययन कर पाया कि आवेदित भूमि के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय द्वारा कोई यथास्थिति का आदेश नहीं है तथा न ही कोई प्रकरण विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के आवेदन पर वसीयत की जांच करा, सम्बन्धित पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर, विभिन्न न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य एवं वसीयत के आधार पर राजस्व ग्राम मनवाखेडा पटवार क्षेत्र मादड़ी पुरोहितान खैवट (खतौनी) नई 19 व 239

पुरानी 36 व 37 वसीयतकर्ता उदा पिता देवा डांगी का 1/2 हिस्सा प्रार्थी श्री कन्ना पिता उदा डांगी के नाम राजस्व रिकार्ड के दर्ज किये जाने का निर्णय दिनांक 06.01.2011 को पारित किया, जो पूर्णतया विधि सम्मत है। अपीलार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है और न ही अपने कथनों को साबित करा पाया है।

उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), गिर्वा द्वारा प्रकरण में तथ्यों की पूर्ण जांच व विवेचना कर, विभिन्न न्यायालयों के निर्णय के परिपेक्ष्य में, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय दिनांक 06.01.2011 पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), गिर्वा का निर्णय दिनांक 06.01.2011 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official